

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

रिछपाल सिंह बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण
 किस्म मुकदमा मु.नं. 02 वर्ष 2026

136 LR

दिनांक	आज्ञा - पत्र
06/01/26	<p>प्रार्थी रिछपाल सिंह पुत्र हरदेवा राम जाति जाट निवासी ग्राम कासली तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 707 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि रिछपालसिंह पुत्र हरदेवाराम जाति कायमखानी दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि रिछपाल सिंह पुत्र हरदेवा राम जाति जाट है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि रिछपाल सिंह पुत्र हरदेवा राम जाति जाट अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि रिछपालसिंह पुत्र हरदेवाराम जाति कायमखानी के स्थान पर रिछपाल सिंह पुत्र हरदेवा राम जाति जाट दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/25 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 707 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि रिछपालसिंह पुत्र हरदेवाराम जाति कायमखानी के स्थान पर रिछपाल सिंह पुत्र हरदेवा राम जाति जाट दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/25 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p>



उपखण्ड अधिकारी
 धोद जिला-सीकर

